20th September, 1998 under the heading "Doctor to campaign for awareness against quacks"; and

(b) if so, what action Government have taken against the quacks who are playing with the lives of innocent people?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) According to Govt. on N.C.T. of Delhi, no such report has come to their notice.

(b) Govt. of N.C.T. of Delhi has an Antiquackery Cell, which in coordination with Delhi Police initiates legal action against those who are esatblished quacks.

पान मसाला पर प्रतिबंध

1462. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पान मसाला और गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी संसद सदस्य से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनके द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो विधेयक के संबंध में क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति (सी०सी०एफ०एस०) जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक समिति है, ने चबाने वाले तम्बाकू के उपयोग अथवा पान मसाला/गुटका में इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। तथापि चबाने वाले तम्बाकू तथा गुटका के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय की सांविधिक चेतावनी चबाने वाले तम्बाकू के प्रत्येक पैकेज पर लिखनी होगी कि "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि वे स्कूलों/कालेजों/जन प्रचार माध्यमों/दूरदर्शन, रेडियो आदि के माध्यम से इन उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए जनता को शिक्षित करें।

3. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुटका के उपयोग को कम करने के लिए उपाय करने की बात सोची गई है।

4. आकाशवाणी/दूरदर्शन ने नवम्बर, 1990 से पान मसाला तथा गुटका के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मानक विज्ञापन परिषद् ने लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए तम्बाकू उत्पादों (जिनमें चबाने वाला तम्बाकू तथा गुटका शामिल है) के विज्ञापनों के लिए संहिता तैयार की है।

5. सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे देश में तम्बाकू के उपयोग के कम होने की संभावना है।

Treating Higher Secondary Pass Technocrats at par with 10th Pass in AIIMS

1463. SHRI OSCAR FERNANDES: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in A.I.I.M.S., the Higher Secondary pass technocrats are being treated equivalent to 10th pass for promotion/recruitment in various posts in the Institute;

(b) whether it is being followed just to give undue benefit to certain persons and the persons having more qualifications and experience are made junior by application of the above clause; and

(c) if so, whether Government propose to do justice to the employees who have passed Higher Secondary Examination by